

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
आई टी भवन, योजना भवन परिसर, सी-स्कीम, तिलक मार्ग, जयपुर

यू.ओ. नोट

विषय:- पै-मेनेजर पर मास्टर डेटा वेरिफाई करने बाबत।

समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि वित्त एवं आर्थिक मामलात के आदेश क्रमांक एफ.5(थ-75)डीटीए/IFMS/3666-4165 दिनांक 13.09.2019 की अनुपालना में विभाग में कार्यरत समस्त अधिकारी/कर्मचारी अपने पै-मेनेजर पर लॉग-इन कर मास्टर डेटा की समस्त प्रविष्टियों की जांच करे एवं यदि कोई अशुद्धि हो तो उसे अद्यतन कर के उक्त डेटा को ऑनलाईन करने का श्रम करे एवं इसका एक स्व-हस्ताक्षरित प्रिन्ट दिनांक 29.11.2019 तक डीडीओ/भुगतान शाखा में प्रस्तुत करावे। यदि किसी कर्मचारी/अधिकारी को मास्टर डेटा में किसी प्रकार की नई प्रविष्टि करानी हो तो उक्त प्रविष्टि हेतु डीडीओ/भुगतान शाखा को एप्लीकेशन द्वारा आवेदन करे।

उक्त सूचना के अभाव में माह जनवरी 2020 के वेतन बिलो का आहरण नहीं किया जा सकेगा, जिसके लिए सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी व्यक्तिशः जिम्मेदार होंगे।


तकनीकी निदेशक एवं
पदेन संयुक्त सचिव

F3(151)Doc/Actt/2012 | 05267/2019

Dated 21.11.2019

समस्त अधिकारी/कर्मचारी
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग,

Copy to website upload,